A3/1

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं.RCMS2023/242

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 93 / 2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह — विकेता एवं मालिक
मै0 राज श्री स्वीट्स, जैन सभा रोड़, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/51

निर्णय — दिनांक : 22.09.2023

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः-एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः- आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्रीकंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 07.03.2022 को बाद दोपहर बाद 1.00 बजे का **मै0** राज श्री स्वीट्स, जैन सभा रोड़, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विकेता माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह को अपना परिचय देकर संस्थान में स्टील ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विकेता ने स्वयं को दुकान का विकेता एवं मालिक होना बताया तथा दुकान में रखे शोकेस में 2 ट्रे में 15 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क, डाईफ्रूट से निर्मित)** को आमजन के विकय वास्ते होना बताया। **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क, डाईफ्रूट से निर्मित)** में मिलावट का शक होने पर विकेता से नमूना जांच वास्ते **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** का नमुना लेने की इच्छा विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विकेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विकेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर विकेता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति विकेता एवं मालिक माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यांयनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/2

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफूट से निर्मित)** 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क, डाईफ्रूट से निर्मित)** का नगद भुगतान 700/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** को एकरूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों में भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1436** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1436** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :- :L.S./404/Act/2022/404 Dated 25-03-2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1436 Sub-Standard Food as extracted Fat does not conform the standard of Milk Fat** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त माल सिंह राजपुरोहित पुत्र भूरा सिंह मैसर्स राज श्री स्वीट्स, जैन सभा रोड़, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)**का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/51 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 24.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

A3/3

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी वार्ड नम्बर 05, पदमपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का रहने वाला है। प्रार्थी मैसर्स राज श्री स्वीट्स दुकान जैन सभा रोड, पदमपुर तहसील पदमपुर जि़ा श्रीगंगानगर का मालिक है और प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2368 दिनांक 29.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित) Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** का सैम्पल **K-1436** जांच रिपोर्ट क्रमांक : :L.S./404/Act/2022/404 Dated 25-03-2022 द्वारा **Sub-Standard Food as extracted Fat does not conform the standard of Milk Fat** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- प्रार्थी को आपके विभाग द्वारा एक नोटिस आपके पत्र कमांक 23/2368 दिनांक 29.08.2023 का दिया है कि आपकी दुकान में **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित) Sub-Standard Food** पाया गया है। प्रार्थी ने उक्त **कलाकन्द मिठाई (दूध,चीनी,वर्क,डाईफ्रूट से निर्मित)** में सुधार कर लिया है। भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नहीं करेगा। प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपना जुर्म स्वीकार करता है। प्रार्थी के साथ नरमी का रूख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Kalakand Mithai" bearing Code No and Sr. No. K-1436, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Sub-Standard Food as extracted Fat does not conform the standard of Milk Fat as prescribed in Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additive) Regulation, 2011.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

के हस्ताक्षर है और तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। क्रमशः

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2006 [illegible] 2011 [illegible] 2011 [illegible] 2006 [illegible] 2011 [illegible] 25,000 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]